

डेटा सुरक्षा और डेटा एक्सेसबिलिटी नीति

यह एडिटरियल 10/03/2022 को 'लाइवमि' में प्रकाशित "An Open Data Policy Won't Work Without Earnest Implementation" लेख पर आधारित है। इसमें 'ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022' और इससे संबद्ध गोपनीयता संबंधी चर्चाओं के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिये ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 जारी की गई। यह सरकारी तंत्र द्वारा एकत्र किये गए वृहत डेटा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पूर्व के प्रयासों की नरिंतरता है।

मसौदा नीति उपलब्ध वृहत डेटा की क्षमता निर्माण की दशा में अगला कदम है। हालाँकि एक 'व्यापक डेटा सुरक्षा ढाँचे' के माध्यम से प्रदान किये गए पर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के बिना कोई भी डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज पॉलिसी अधूरी है।

मसौदा नीति के प्रावधान

- नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से रूपांतरित करना है।
 - यह सरकार और अन्य हतिधारकों के बीच डेटा पहुँच एवं साझाकरण को सुव्यवस्थित और एकीकृत करने के लिये एक इंडिया डेटा ऑफिस (IDO) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- यह केंद्र सरकार और अधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पन्न, सृजित, एकत्र या संग्रहीत सभी डेटा एवं सूचना को कवर करता है।
 - इस प्रकार के प्रयास राज्य सरकारें भी कर सकती हैं।
- सभी सरकारी डेटा खुला और साझा करने योग्य होगा जब तक कि यह डेटा शृंखला की नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं आता हो।
 - डेटासेट की नकारात्मक सूची के अंतर्गत वर्गीकृत डेटा केवल न्यतिरति वातावरण में विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाएगा।
- डेटा उस एजेंसी/वभाग/मंत्रालय/इकाई की परसिंपत्ता बिना रहेगा जिसने इसे सृजित/एकत्र किया है।
 - इस नीति के तहत डेटा तक पहुँच भारत सरकार के किसी भी कार्यान्वयन अधिनियम और लागू नयियों का उल्लंघन नहीं होगी।
- शिक्षावर्धियों और अन्य हतिधारकों की मांगों के बावजूद इस तरह के डेटा की बड़ी मात्रा अपरयुक्त बनी रही है।
 - नीति सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वतिरण के लिये नयिमति प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न डेटा का लाभ उठाएगी।

नई नीति से संबद्ध चर्चाएँ

- डेटा सुरक्षा कानून का अभाव:** कोई भी डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज नीति एक व्यापक डेटा सुरक्षा ढाँचे के माध्यम से प्रदत्त पर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के बिना अपूरण है। दुर्भाग्य से इस प्रकार के मोर्चे पर प्रगति अभी धीमी रही है।
 - इस तरह के ढाँचे की तात्कालिकता और भी अधिक आवश्यक हो गई है क्योंकि प्रस्तावित नीति में नागरिकों के सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा को नज्जी संस्थाओं को देने पर लाइसेंसिंग का सुझाव दिया गया है।
- डेटा का दुरुपयोग:** इसके साथ ही हतियों के टकराव और वाणज्यिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों से ऐसे डेटा के दुरुपयोग की समस्याएँ भी मौजूद हैं।
 - एक ऐसे समय जब डेटा को 'न्यू ऑइल' माना जा रहा है, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्यवान डेटा का मुद्रीकरण सार्वजनिक सेवाओं के शासन और व्यक्तियों की गोपनीयता के नहितार्थ के साथ प्रत-उत्पादक साबित हो सकता है।
- सार्वजनिक डेटा प्राप्त करने के नागरिकों के प्रयास:** डेटा पर प्रशासनिक न्यतिरण का उपयोग उपयोगकर्ताओं और नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिये डेटा प्राप्त करने के प्रयासों को वफिल करने के लिये भी किया गया है।
 - इसका एक पुष्ट उदाहरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम है जिससे पछिले एक दशक में काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। सार्वजनिक डेटा प्राप्त करने के नागरिकों के प्रयासों के कारण कई RTI कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गँवानी पड़ी है।
- विश्वसनीय स्वतंत्र सर्वेक्षणों की अवहेलना:** सार्वजनिक डेटा का उपयोग प्रायः स्वतंत्र विश्वसनीय सर्वेक्षणों को खारजि करने के लिये किया जाता है, न कि उन्हें पूरकता प्रदान करने के लिये। इस तरह के रकिॉर्ड प्रायः राजनीतिक आख्यान के अनुरूप उपयोग किये जाते हैं।
 - कर्मचारी भवषिय नधि संगठन (EPFO) और ई-शर्म पोर्टल के डेटा का उपयोग यह तर्क देने के लिये होता रहा है कि रोजगार सृजन हो रहा

है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के PLFS से अलग प्रमाण प्राप्त होते हैं।

- **डेटा में वाणजियिकि हतियों का प्रभाव:** यह देखा जाता है कि अधिक डेटा के संग्रहण का इसके आर्थिक मौद्रीकरण से समानुपातिक संबंध है इस प्रकार के वाणजियिकि हति सरकार को अधिक से अधिक 'संग्रहीत' और वर्द्धति अवधारणा के माध्यम से सूक्ष्म व्यक्तिगत वविरण एकत्र करने के लिये प्रेरति करेंगे।
 - राजकोषीय कषमता के साथ सरकारी नीतनिर्धारणों को संबद्ध करने से भी डेटा संग्रह के उद्देश्य—(कृषक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, असंगठित मजदूरों या यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के कल्याण के लक्ष्य) विकृत हो सकते हैं।
 - समय के साथ जनि मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिये डेटाबेस बनाए गए हैं, वे ही वाणजियिकि हतियों के पक्ष में कमजोर हो जाएँगे।
- **संघवाद:** यद्यपि नीतियह कहती है कि राज्य सरकारें 'नीति के कुछ हस्सियों को अपनाने के लिये स्वतंत्र' होंगी, यह नरिदष्टि नहीं करती है कि ऐसी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाएगी।
 - यह प्रासंगिक हो जाता है यदि डेटा साझा करने या वतित्तीय सहायता के लिये एक पूर्व शर्त के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वशिष्ट मानक नरिधारति हों।
 - इस पर भी कोई टपिपणी नहीं है कि राज्यों से एकत्र किये गए डेटा को केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा सकता है या नहीं और क्या इससे होने वाली आय को राज्यों के साथ साझा कया जाएगा।

आगे की राह

- **डेटा अखंडता बनाए रखना:** जबकि नीतिसार्वजनिकि क्षेत्र के डेटा को साझा करने में अधिक खुलेपन और पारदर्शिता का प्रस्ताव करती है, यह नीतनिर्माण में तभी योगदान दे सकती है जब डेटा अखंडता बनाए रखी जाए और इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित कया जा सके।
 - चूँकि सार्वजनिकि डेटा सरकारी प्रशासन का एक उप-उत्पाद है, इसलिये इसकी गुणवत्ता, प्रशासनिकि गुणवत्ता के समतुल्य होगी।
 - इस डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिये, सार्वजनिकि जाँच और अकादमिकि वशिलेषण के लिये डेटाबेस खोलना आवश्यक है।
- **सोशल ऑडिटि की भूमिका:** सोशल ऑडिटि डेटा अखंडता को बनाए रखने में एक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसके लिये प्रावधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे वभिन्न कार्यक्रमों में अंतरनिहित हैं।
 - इसके सोशल ऑडिटि ने न केवल इस रोजगार कार्यक्रम के कार्यक्रमलाप पर उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाया है, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने में भी मदद की है।
- **मूल्यांकन के लिये स्वतंत्र तंत्र:** हमारी डेटा नीतिका एक अनविर्य अंग यह होना चाहिये कि इसकी रक्षा इसे सृजित करने वाली संस्था के रूप में प्रशासनिकि मशीनरी के साथ-साथ राजनीतिकि नेतृत्व से की जानी चाहिये।
 - सार्वजनिकि डेटा के मूल्यांकन और सत्यापन का एक स्वतंत्र तंत्र होना आवश्यक है ताकि यह सार्विक रूप से उपयोगी साबित हो सके, वशिष रूप से तब जब ऐसा डेटा आवश्यक सार्वजनिकि सेवाओं तक लोगों की पहुँच से निकटता से संबद्ध हो।
 - जब तक गोपनीयता की रक्षा के लिये सुरक्षा उपायों का नरिमाण नहीं कया जाता है और सरकार को जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से डेटा पर्याप्त वशिषनीय नहीं होगा, तब तक इस नीतिका प्रासंगिकिता बहुत कम होगी।
- **डेटा संरक्षण कानून:** नजिता के मौलिकि अधिकार पर सर्वोच्च नयायालय के पुट्टास्वामी नरिणय अनुसार संवैधानिकिता को संतुष्ट करने वाला पहला कानूनी घटक है। कानून के बनिा, डेटा साझा करने के लिये उन परिभाषित सीमाओं का अभाव होगा जो लागू करने योग्य हों और जनिमें वैधानिकि उपचार शामिल हों।
 - इस मामले में अनामति उपकरणों (Anonymization Tools) के माध्यम से गोपनीयता संरक्षण का वादा बहुत यथार्थवादी नहीं है यदि डेटा सुरक्षा के लिये एक नकिया द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन नहीं कया जा सकता हो।
 - यह स्थिति डेटा सुरक्षा कानून के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता रखती है।

अभ्यास प्रश्न: "व्यापक डेटा सुरक्षा ढाँचे के माध्यम से प्रदान किये गए पर्याप्त सार्वजनिकि सुरक्षा उपायों के बनिा कोई भी डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज नीतनिर्माण है।" "ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022" के संदर्भ में इस कथन का वशिलेषण कीजिये।